# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. (श्रीमति) ओम गुप्ता

(2) वर्तमान धारित पद **संचालक विस्तार सेवायें**

(3) वर्तमान वेतन **77000.00** अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....01.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| गोपाल बिहार कालोनी, गोपाल सदन के पास, गोपालबाग, जबलपुर | ड्यूप्लेक्स | निरंक | रूपये 26,00,000 | स्वयं के नाम पर | ड्यूप्लेक्स, गोपाल बिहार कालोनी, गोपालबाग, जबलपुर में स्थित है जिसे कान्हा कसंट्रक्शन के द्वारा निर्मित किया गया है। | निरंक (स्वयं निवास) | इलाहाबाद बैंक से 8.00 लाख का ऋण लिया गया था । शेष 1.50 लाख स्वयं भुगतान किया गया । |

जहां लागू न हो काट दीजिये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....

नाम– डॉ. (श्रीमति) ओम गुप्ता

पद– संचालक विस्तार सेवायें

कार्यालय/विभाग का नाम– संचालनालय विस्तार सेवायें.

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ..... डॉ. डी.पी. शर्मा ...(2) वर्तमान धारित पद . संयुक्त संचालक विस्तार

.(3) वर्तमान वेतन .....77000.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....01.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| न्यू राम नगर, जे. डी.ए. | 50 X 80 | प्लाट | 50 लाख | स्वयं | – | – | – |
| अनन्तपुर सोसायटी रीवा | 60 X 40 | प्लाट | 20 लाख | स्वयं | – | – | – |
| रीवा पडरा | 60 X 40 | मकान | 35 लाख | स्वयं | – | – | – |

जहां लागू न हो काट दीजिये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....

नाम– डॉ. डी.पी. शर्मा

पद– संयुक्त संचालक विस्तार

कार्यालय/विभाग का नाम

संचालनालय विस्तार सेवायें, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉ. टी.आर. शर्मा**

(2) वर्तमान धारित पद – **प्रमुख वैज्ञानिक**

(3) वर्तमान वेतन **65550.00** अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....01.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| दीन दयाल नगर परगना जिला ग्वालियर | 12m x 18m = 216 sp.mtr. | प्लाट | 45 लाख | स्वयं | खरीदकर श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा कृषि नगर नियर बस स्टेण्ड, ग्वालियर (म.प्र.) | – | – |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....MSharma.....
नाम– डॉ. टी.आर. शर्मा
पद– प्रमुख वैज्ञानिक
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमति अर्चना पाण्डे**

(2) वर्तमान धारित पद– **वरिष्ठ वैज्ञानिक**

(3) वर्तमान वेतन **70270.00** अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....1.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जबलपुर (म.प्र.) | 10, पलास रेसीडेंसी | प्लाट नं. 10 हर्षित नगर, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर | 18,30,000 | संपत्ति संयुक्त रूप से डॉ. अर्चना पाण्डे एवं एड. अरविंद पाण्डे (पति)के नाम से क्रय की गई है । | संपत्ति दिनांक 13.08.2014 से जितेन्द्र विश्वकर्मा, कमल सिंह चंदेल एवं नागेन्द्र सिंह जो कि मेसर्स एम.एम. बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स के पार्टनर हैं, से क्रय की गई एवं संपत्ति क्रय करने हेतु एल.आई.सी. से लोन लिया गया एवं सपंत्ति को साम्य बंधक के रूप में एल.आई.सी. के पास रखा है । | संपत्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है । | – |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सहीं–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....

नाम– श्रीमति अर्चना पाण्डे

पद– वरिष्ठ वैज्ञानिक

कार्यालय/विभाग का नाम

संचालनालय विस्तार सेवायें

जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉ. एम.ए. खान**

(2) वर्तमान धारित पद – **वरिष्ठ वैज्ञानिक**

(3) वर्तमान वेतन **68220.00** अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....01.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जबलपुर | 630/28 | 2 एकड़ | 1 करोड | | स्वयं | स्वयं | |
| | दुकान 16 कलेक्ट्रेड रोड जबलपुर | | 1 करोड | | स्वयं | स्वयं | 1.5 लाख |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– डॉ. एम.ए. खान
पद– वरिष्ठ वैज्ञानिक
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अनुज कुमार सिंह**

(2) वर्तमान धारित पद – **प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी**

(3) वर्तमान वेतन .....62700..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....1.07.2021. .....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | | | | | | | |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– अनुज कुमार सिंह
पद– प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कु. नेहा दोहरे .....

(2) वर्तमान धारित पद ... प्र.वि.अधि.....

(3) वर्तमान वेतन .....25500.00 अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....1.07.2021...

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

जहां लागू न हो काट दीजिये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर ..... 19/02/21

नाम– नेहा दोहरे

पद– प्रक्षेत्र विस्तार अधि.

कार्यालय/विभाग का नाम –

संचालनालय विस्तार सेवाएँ

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **गुलाम नबी**

(2) वर्तमान धारित पद – **सहायक ग्रेड–2**

(3) वर्तमान वेतन .....48100.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख ..... ...1.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जबलपुर | निवासरत | – | 6.50 लाख | स्वयं | खरीद कर (बैंक फाइनेंस) | निरंक | निरंक |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– गुलाम नबी
पद– सहायक ग्रेड– 2
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **दुर्गा शंकर सिंगरहा**

(2) वर्तमान धारित पद – **सहायक ग्रेड–2**

(3) वर्तमान वेतन .....41000.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख ..... 1.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| गणेश नगर, रेल्वे मालगोदाम के पास कछपुरा, गुलौआ गढ़ा, जबलपुर | गृह | – | 8,00,000 | स्वयं के नाम पर | खरीद कर | नहीं | |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– दुर्गा शंकर सिंगरहा
पद– सहायक ग्रेड– 2
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रवि केवट**

(2) वर्तमान धारित पद – **सहायक ग्रेड–2**

(3) वर्तमान वेतन .....38600.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख ....1.07.2021.... .....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– रवि केवट
पद– सहायक ग्रेड– 2
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **प्रेमलाल वर्मा**

(2) वर्तमान धारित पद – **वाहन चालक**

(3) वर्तमान वेतन .....41000.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख ..... ..1.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| शंकर नगर सुहागी, जबलपुर | गृह | – | 6,00,000 | | पट्टा | नहीं | |

* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर .....
नाम– प्रेमलाल वर्मा
पद– वाहन चालक
कार्यालय/विभाग का नाम
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर

# फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ..... डॉ. पी.के. गुप्ता ...(2) वर्तमान धारित पद . वैज्ञानिक

.(3) वर्तमान वेतन .....22250.00..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख .....01.07.2021.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रविन्द्र नगर अधारताल | 40 X 60 | मकान | 36 लाख | स्वयं व पत्नि | – | – | – |

जहां लागू न हो काट दीजिये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें । और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर ..... 15/02/2021

नाम– डॉ. पी.के. गुप्ता

पद– वैज्ञानिक

कार्यालय/विभाग का नाम

कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर